आइआइएम करेगा विलय का मूल्यांकन

सरकार का दावा, सात लाख बच्चों को मिलने लगी बेहतर शिक्षा, 400 करोड़ रुपये की हुई बचत

राज्य ब्यूरो, रांची : स्कूलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में 4,600 स्कूलों के पास के बड़े स्कूलों में किए गए विलय का मूल्यांकन इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट (आइआइएम), रांची द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार ने इससे इसमें आनेवाले वित्तीय खर्च का प्रस्ताव मांगा है।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह, झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक उमाशंकर सिंह तथा प्राथमिक शिक्षा निदेशक विनोद कुमार ने गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि नीति आयोग अपने स्तर से इसका मूल्यांकन आइआइएम, बेंगलुरु द्वारा करा रहा है। झारखंड सरकार ने भी आइआइएम, रांची से मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया है। पदाधिकारियों ने स्कूलों के विलय के बाद कराए गए आंतरिक सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि इससे सात लाख बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अलावा बेहतर वातावरण मिल रहा है, क्योंकि उन्हें आवश्यक संख्या में शिक्षक व अन्य संसाधन मिलने लगे हैं। 96 फीसद बच्चे इससे संतुष्ट हैं। 4,500 शिक्षकों की जरूरत कम हुई है तथा लगभग 400 करोड़ रुपये की बचत हुई है। अधिकारियों के अनुसार, विलय के बाद 150 ऐसे स्कूल चिह्नित किए गए थे जहां के बच्चे पुनर्गठित स्कूल में नहीं जा रहे थे। उनके अभिभावकों की काउंसिलिंग कर उन्हें वापस लाया गया। 90 फीसद बच्चे वापस आ गए। उनके अनुसार; गिने-चुने स्कूल ही हैं जहां बच्चों को परेशानी हो सकती है।

पुराने भवनों में खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, हल्का भवन

स्कूलों के विलय के बाद खाली पड़े पुराने भवनों में आंगनबाड़ी केंद्र, हल्का भवन, पंचायत भवन आदि खोले जाएंगे। भवनों के आवंटन के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है।

बच्चों को साइकिल

विलय के कारण स्कूलों की दूरी बढ़ने को देखते हुए राज्य सरकार ने कक्षा छह से सात के छात्र-छात्राओं को साइकिल देने का निर्णय लिया है। परिवहन भत्ता का भी विकल्प है।

केस स्टडी

प्राथमिक उर्दू स्कूल नगड़ी तथा नव प्राथमिक स्कूल भागलपुर का विलय मिडिल स्कूल, नगड़ी में किया गया। दोनों स्कूलों में क्रमशः 16 और 20 बच्चे ही नामांकित थे। दो-दो क्लास रूम तथा एकमात्र शिक्षक थे, जिससे उन्हें पढ़ाने में काफी परेशानी होती थी। विलय के बाद मिडिल स्कूल, नगड़ी में कक्षा एक से आठ तक 650 बच्चे, 27 शिक्षक तथा 18 क्लास रूम हो गए हैं। सभी कक्षाओं में विषयवार शिक्षक मिल गए हैं।

दूसरे फेज में 6,466 स्कूल

शिक्षा सचिव के अनुसार, राज्य सरकार ने दूसरे फेज में पुनर्गठन के लिए 6,466 स्कूलों की पहचान की है, जिनमें सौ से कम बच्चे हैं। 50 से कम बच्चों वाले 3,732 स्कूलों का पहले पुनर्गठन किया जाएगा।

विलय की चुनौती देने पर दस-दस हजार का जुर्माना

कई याचिकाओं के माध्यम से स्कूलों के पुनर्गठन की चुनौती झारखंड हाई कोर्ट में दी गई थी। हाई कोर्ट ने इनमें दो याचिकाकर्ताओं पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

Dainik Jagran, 21.12.2018, Pg. 4